

जाधर सिंह - गुलाब देवी 94/2010

दिनांक	आज्ञा पत्र
6-2-18	<p>पत्रावली प्रत्युक्त वकील अपीलान्त/रेस्पॉण्डेंट्स को पीएससी अधिकारी महोदय को पेश है। अतः पत्रावली पूर्व अपीलान्त पर 29-5-18 को पेश हो।</p>
29-5-18	<p>पत्रावली प्रत्युक्त वकील अपीलान्त/रेस्पॉण्डेंट्स को पीएससी अधिकारी महोदय को पेश है। अतः पत्रावली पूर्व अपीलान्त पर 27-8-18 को पेश हो।</p>
27-8-18	<p>पत्रावली पेश। वकील अपीलान्त को हिदायत दी जाती है कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पॉण्डेंट्स के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करे अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। तहत को रिजल्ट प्रकाशित करने के लिए / तलब किया जाये। पत्रावली वाले ससभी दिनांक 30-10-18 को पेश हों। पत्रावली में पूर्व में यदि स्थगन है तो उसे आगामी तिथि तक बढ़ाया जाता है।</p>
30-10-18	<p>पत्रावली पेश। वकील अपीलान्त को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पॉण्डेंट्स के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करे अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। आज दिनांक तक अपीलान्त ने रेस्पॉण्डेंट्स के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलान्त अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलान्त आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय सरे द्वारा प्रकाशित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तक रिजल्ट दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: right;">भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर- (केन्द्रीय इन्सुलर)</p>

Web Copy Not Official